

बिहार सरकार  
अनु0जाति एवं अनु0 जनजाति कल्याण विभाग  
सं0-4/निदे0 छात्रावास(सामग्री एवं पूतियों)03-61-03/2015- 134

प्रेषक,

वीरेन्द्र कुमार,  
निदेशक।

सेवा में,

जिला कल्याण पदाधिकारी,  
पटना/कैमूर(भभुआ)/सीतामढी/शिवहर/मधुबनी।

पटना-15, दिनांक- 22.02.18

विषय: वित्तीय वर्ष 2017-18 में राज्य स्कीम के अन्तर्गत अनुसूचित जाति एवं अनु0 जन जाति कल्याण विभाग से संचालित अनुसूचित जाति आवासीय विद्यालयों के छात्रावासों एवं अनुसूचित जाति के लिए सामान्य छात्रावासों में सामग्री व पूतियों मद में ₹ 335.00 लाख (तीन करोड़ पैतीस लाख रू0) मात्र का अतिरिक्त आवंटन।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में कहना है कि राज्य सरकार ने वित्तीय वर्ष-2017-18 में राज्य योजना के अन्तर्गत अनु0जाति एवं अनु0जनजाति कल्याण विभाग द्वारा संचालित अनुसूचित जाति आवासीय विद्यालयों के छात्रावासों एवं अनुसूचित जाति के लिए सामान्य छात्रावासों में सामग्री व पूतियों मद में ₹ 1650.00 लाख (सोलह करोड़ पचास लाख रू0) मात्र की निकासी एवं व्यय की स्वीकृति पत्रांक-22 दिनांक-08.06.17 द्वारा प्रदान की है। आवंटित राशि से छात्रावासों में चौकी, मैट्रेस, डेस्क-बेंच, वाटर प्युरिफायर, कुर्सी, टेबुल, आलमीरा, बर्तन, खेल सामग्री, टी0 भी0, पंखा अग्निशमन यंत्र आदि का आपूर्ति किया जायेगा। स्वीकृत राशि में से कुल ₹ 1264.83 लाख (बारह करोड़ चौसठ लाख तिरासी हजार रू0) मात्र की राशि पत्रांक-38 दिनांक-06.07.17 द्वारा आवंटित की गई है। तदनुसार जिला कल्याण पदाधिकारी, पटना के पत्रांक-7173 दिनांक-22.12.17, जिला कल्याण पदाधिकारी, कैमूर(भभुआ) के पत्रांक-162 दिनांक-19.02.18, जिला कल्याण पदाधिकारी, सीतामढी के पत्रांक-71 दिनांक-15.02.18 एवं जिला कल्याण पदाधिकारी मधुबनी के पत्रांक-117 दिनांक-15.02.18 द्वारा अतिरिक्त राशि की माँग के आलोक में संलग्न विवरणी के अनुसार कुल ₹ 335.00 लाख (तीन करोड़ पैतीस लाख रू0) मात्र की अतिरिक्त राशि आवंटित की जाती है।

3- आवंटित राशि का व्यय राज्य स्कीम मद से अनुसूचित जाति के लिए व्यय मुख्य शीर्ष 2225-अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों और अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण-उप मुख्यशीर्ष-01-अनुसूचित जातियों का कल्याण-लघु शीर्ष-277-शिक्षा-उपशीर्ष-0101-शिक्षा-विषय शीर्ष-0101.21.01-सामग्री एवं पूतियां-मांग संख्या-44-विपत्र कोड संख्या-44-2225012770101 के अन्तर्गत विकलनीय है।

4- इस आवंटित राशि के लिए निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी जिला कल्याण पदाधिकारी होंगे। इस स्वीकृति के आलोक में सामग्री व पूतियों मद की गत वर्ष के बकाया राशि का भुगतान किया जाएगा। किसी भी परिस्थिति में राशि का विचलन नहीं किया जाएगा।

5- राशि की निकासी एवं व्यय वित्त विभाग के द्वारा निर्गत परिपत्र सं0-2561 दिनांक 17-4-98 तथा समय-समय पर वित्त विभाग/राज्य सरकार द्वारा निर्गत अन्य पत्र/परिपत्रों में निहित निदेशों के आलोक में किया जायेगा।

6- महालेखाकार, बिहार को इस राशि के व्यय से संबंधित अंकेक्षण करने का अधिकार होगा। साथ ही निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी सरकार द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार व्यय के लेखा का मिलान महालेखाकार, बिहार द्वारा संधारित लेखा के साथ करेंगे।

7- राशि की समुचित एवं नियमानुसार उपयोग के लिए जिला कल्याण पदाधिकारी उत्तरदायी होंगे तथा वे राशि के व्यय के पश्चात् व्यय विवरणी एवं उपयोगिता प्रमाण-पत्र विहित प्रपत्र में उपलब्ध करायेंगे।

8- कृपया पत्र प्राप्ति की सूचना दी जाय।

विश्वासभाजन,

(वीरेन्द्र कुमार)  
निदेशक।

ज्ञापक-1/निदे० छात्रावास(सामग्री एवं पूतियों)03-61-03/2015(खण्ड)- 134 पटना, दिनांक- 22.02.18

प्रतिलिपि:- (1) महालेखाकार, बिहार, वीरचंद पटेल पथ, पटना/वित्त विभाग, बजट शाखा/योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

(2) जिला कोषागार पदाधिकारी पटना/कैमूर(भभुआ)/सीतामढी/शिवहर/मधुबनी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

(3) (i) सचिव, अनु० जाति एवं अनु० जनजाति कल्याण विभाग/अपर सचिव, अनु० जाति एवं अनु० जनजाति कल्याण विभाग/उप निदेशक (मु०), अनु० जाति एवं अनु० जनजाति कल्याण विभाग/सहायक निदेशक अनु० जाति एवं अनु० जनजाति कल्याण विभाग/अवर सचिव, प्रभारी बजट शाखा, अनु० जाति एवं अनु० जनजाति कल्याण विभाग/आई० टी० मैनेजर, /संबंधित प्रशाखा पदा०, अनु० जाति एवं अनु० जनजाति कल्याण विभाग, सांख्यिकी कोषांग, अनु० जाति एवं अनु० जनजाति कल्याण विभाग, को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

(ii) सभी संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/सभी संबंधित जिला पदाधिकारी/सभी संबंधित उप विकास आयुक्त/सभी संबंधित उप निदेशक, कल्याण को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

*Amey*

*Amey*  
निदेशक  
22/2/18

वित्तीय वर्ष 2017-18 में राज्य योजना अन्तर्गत  
अनुसूचित जाति आवासीय विद्यालयों के छात्रावासों  
एवं अन्य छात्रावासों में सामग्री एवं पूर्तियां मद के लिए अतिरिक्त आवंटित राशि

क्रमांक	जिला का नाम	राशि रूपया में
		सामग्री एवं पूर्तियां मद के लिए आवंटित राशि
1	2	3
1	पटना	4000000
2	कैमूर(मभुआ)	14000000
3	सीतामढी	3500000
4	शिवहर	2000000
5	मधुबनी	10000000
	कुल योग	33500000

(तीन करोड़ पैंतीस लाख रूपया मात्र)

पत्रांक 134 दिनांक 22.02.18 का अनुलग्नक

*134*

*निदेशक*